

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2041 / 2021

दिनांक 22.09.2021

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

01. दिनांक 01.09.2021 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश ।
02. दिनांक 02.09.2021 से 04.09.2021 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 05.09.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/22/2013/5913

दिनांक : 22.09.2021

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर को उनके पत्रांक 43 दिनांक 06.09.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार